[2022] 1 एस. सी. आर. 597

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

बनाम

राहुल मोदी और अन्य ।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 185-186)

फरवरी 07,2022

[न्यायमूर्तिगण एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई **]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.167 (2)-आरोप पत्र दाखिल करना एस. के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है।167 और कि एक अभियुक्त एस के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई की मांग नहीं कर सकता है।167(2) इस आधार पर कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है-धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत लेने का अभियुक्त का अक्षम्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1** भीकमचंद जैन के मामले में इस न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र दाखिल करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **167** के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है और कोई अभियुक्त इस आधार पर धारा **167 (2)** के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई की मांग नहीं कर सकता है कि **60** दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।अभियुक्त मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में तब तक बना रहता है जब तक कि अपराध की सुनवाई करने वाली न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है**,** जो निम्नलिखित को अभिरक्षा में लेती है:संज्ञान लेने के बाद रिमांड के उद्देश्य से आरोपी को लिया जाता है।उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त को धारा **167** के तहत **60** दिनों की अवधि के अलावा रिमांड पर नहीं रखा जा सकता है और आगे की रिमांड केवल संज्ञान के बाद के चरण में हो सकती है**,** भीकमचंद जैन मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए सही नहीं है। **[**पैरा **10] [605-**सी**-**ई**]2.** संजय दत्त**,** मदार शेख और एम**.** रवींद्रन में निर्णयों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि भीकमचंद जैन में जो निर्णय लिया गया है**,** उसके विपरीत कुछ भी नहीं है।इन सभी निर्णयों में**,** जिन पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया जाता है**,** इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **167 (2)** के तहत वैधानिक जमानत लेने का एक आरोपी का अक्षम्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब ए की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो।

वैधानिक अवधि।मदार शेख में संज्ञान का संदर्भ उस तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए है जहां आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद आवेदन दायर किया गया था और निचली विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था।इस तरह के संदर्भ का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **167 (2)** के परंतुक **(**ए**)** के तहत निर्धारित अवधि के भीतर संज्ञान लेने की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रस्तुत करता है**,** जिसमें विफल रहने पर आरोपी वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने के बाद भी डिफ़ॉल्ट परंतुक का हकदार होगा।**[**पैरा **15] [607-**जी**-**एच**; 608-**ए**-**सी**]**

सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम राज्य

महाराष्ट्र और अन्र. (2013) 3 एससीसी 77:[2013] 1 एस. सी. आर. 1037; संजय दत्त बनाम राज्य (1994) 5 एस. सी. सी. 410:

[1994] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 263;** एम**.** रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी**,** राजस्व खुफिया निदेशालय **(2021) 2**

एस**.** सी**.** सी**. 485-**पर निर्भर।

मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य बनाम की स्थिति महाराष्ट्र (1996) 1 एस. सी. सी. 722:[1996] 1 एस. सी. आर. 183-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

2013] 1 एससीआर **1037** पर भरोसा किया गया **|** पैरा **4**

[1994] 3 पूरक।एससीआर **263** पर भरोसा किया गया **|** पैरा **5**

[1996] 1 एससीआर **18** संदर्भित किया गया पैरा **5**

(2021) 2 एससीसी **485** पर भरोसा किया गया **|** पैरा **6**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 185-186।

2019 के सी. आर. एम. एम.-20688 और 2019 के सी. आर. एम. एम.-20691 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 31.05.2019 के निर्णय और आदेश से।

अमन लेखी, ए. एस. जी., जोहेब हुसैन, सुश्री कानू अग्रवाल, उदय खन्ना, उज्ज्वल सिन्हा, अनिकेत सेठ, रित्विज ऋषभ, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

विक्रम चौधरी, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्तागण , रंजीत कुमार शर्मा, डॉ. मोनिका गुसैन, महेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अर्शित आनंद, प्रांजल कृष्णा, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एल. नागेश्वर राव, जे. द्वारा दिया गया था

अनुमति दी गई।

1. पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को जमानत देने के लिए पारित दिनांक 1 का आदेश गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ("एस. एफ. आई. ओ".) द्वारा इस अपील में लागू किया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (1) (सी) और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 43 की उप-धारा (2) और (3) (सी) (आई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा आदर्श समूह की कंपनियों और एलएलपी के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।निदेशक, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा जाँच करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को निदेशक, एस. एफ. आई. ओ. द्वारा 10.12.2018 पर दी गई मंजूरी के अनुसार गिरफ्तार किया गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 3842 और 2018 की 3843 में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय द्वारा 27.03.2019 अपास्त करना दिया गया था, जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने 01.04.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को 05.04.2019 पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।जाँच जारी रखने के कारण, विशेष न्यायालय, गुरुग्राम ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की न्यायिक हिरासत को 16.05.2019 तक बढ़ा दिया।इस बीच, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने 03.05.2019 पर उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत पर रिहा होने के लिए नियमित जमानत आवेदन दायर किए।उच्च न्यायालय द्वारा आवेदनों को 21.05.2019 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय को इस बीच दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") की धारा 167 के तहत प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा दायर किसी भी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।16.05.2019 पर, विशेष न्यायालय ने प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 की न्यायिक हिरासत को 30.05.2019 तक बढ़ा दिया।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (15) सहपठित धारा 439 (2) के तहत आपराधिक शिकायत विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष 18.05.2019 पर दायर की गई थी। विशेष न्यायालय ने शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और आरोपी व्यक्तियों को समन करने पर विचार करने के लिए मामले को 24.05.2019 पर सूचीबद्ध किया।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने 20.05.2019 पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत के लिए आवेदन दायर किए।उक्त आवेदनों को सत्र न्यायाधीश, गुरुग्राम द्वारा 22.05.2019 पर

इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि धारा 439 (2) के तहत शिकायत कंपनी अधिनियम, 2013 को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) में निर्धारित 60 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले 18.05.2019 पर दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा 31.05.2019 पर दायर नियमित परंतुक याचिकाओं पर विचार किया और इस आधार पर परंतुक पर उनकी रिहाई का निर्देश दिया कि वे वैधानिक परंतुक के हकदार थे।उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने का एकमात्र कारण यह है कि निचली विचारण न्यायालय ने 60 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को अनिश्चित अधिकार के मामले में वैधानिक जमानत का हकदार है।

4. हमने श्री अमन लेखी, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री विक्रम चौधरी, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील <ID1 और 2 और हस्तक्षेपकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी को सुना है।विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को वैधानिक जमानत देने में एक गंभीर त्रुटि की, इस तथ्य के बावजूद कि शिकायत रिमांड की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई थी।उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की गई है कि 60 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले संज्ञान भी लिया जाना चाहिए, अन्यथा, अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार होगा। उन्होंने कहा कि धारा 167 (2) के तहत जिस गड़बड़ी को दूर करने की मांग की गई है, वह जांच पूरी करने में विफलता है।सी. आर. पी. सी. की योजना के अनुसार, जांच पूरी होने पर, अंतिम रिपोर्ट/शिकायत सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (2) के तहत दर्ज की जाती है। सी. आर. पी. सी. की धारा 167 (2) के तहत सांविधिक जमानत केवल उस मामले में दी जा सकती है जहां निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है और अन्यथा नहीं।उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय सुरेश कुमार मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्र। **1.**

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने उन्हें वैधानिक जमानत देना उचित ठहराया क्योंकि 60 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले संज्ञान नहीं लिया गया था।संजय दत्त बनाम राज्य 2 के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, श्री चौधरी ने तर्क दिया कि आरोपी को धारा 167, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि 60 दिन है, जिसके बाद हिरासत को केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब आरोपी जमानत देने में असमर्थ हो।उन्होंने प्रस्तुत किया

1 (2013) 3 एस. सी. सी. 77 2 (1994) 5 एस. सी. सी. 410 ए

कि यह न्यायालय मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य बनामकी स्थिति

महाराष्ट्र 3 ने संजय दत्त (उपरोक्त) में फैसले की व्याख्या की और कहा कि आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने और संज्ञान लिए जाने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।यह आगे तर्क दिया गया कि एक आरोपी को आरोप पत्र दायर होने के बाद भी धारा 167 (2) के परंतुक के तहत वैधानिक जमानत लेने का अधिकार है, जब तक कि न्यायालय संज्ञान नहीं लेती।

6. राहुल कोठारी द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।हस्तक्षेपकर्ता ने वैधानिक जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे निचली विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।उनके द्वारा दायर 2021 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 12089 इस न्यायालय में विचाराधीन है।चूंकि उक्त विशेष अनुमति याचिका में विचार के लिए उठाया गया मुद्दा वही है जो वर्तमान अपीलों में उत्पन्न होता है, इसलिए मध्यस्थ ने भाग लेने और प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी है।हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने विद्वान कि न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) की व्याख्या के संबंध में राय का टकराव है। उनके अनुसार, मदार शेख (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह विचार रखा है कि यदि न्यायालय ने रिमांड की तारीख से वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है तो कोई आरोपी वैधानिक जमानत के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।भीकमचंद जैन (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने मदार शेख (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किए बिना एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है।श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि यह एम. रवींद्रन न्यायालय खुफिया अधिकारी, राजस्व निदेशालय इंटेलिजेंस 4 ने भीकमचंद जैन (ऊपर) में फैसले के संदर्भ के बिना, मदार शेख (ऊपर) में इस न्यायालय के समान दृष्टिकोण अपनाया।उन्होंने 2020 की आपराधिक अपील संख्या 701-702 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 23.02.2021 के एक आदेश पर भरोसा किया, जिसके द्वारा इस न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ ने इसी तरह के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।उन्होंने आगे इस न्यायालय के दिनांकित एक अन्य आदेश पर भरोसा रखा जिसके द्वारा दो अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं को 2020 की आपराधिक अपील संख्या 701-702 के साथ टैग किया गया है, जिन्हें एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि 2021 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 2111-2112, जो दिनांकित 12.03.2021 के आदेश का विषय थी, वही मुद्दा उठाती है जो इन अपीलों में विचार के लिए आता है, यानी, 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिए जाने की स्थिति में वैधानिक जमानत का दावा करने का आरोपी का अधिकार, जैसा भी मामला हो।समझौता करने के लिए

3 (1996) 1 एससीसी 722 4 (2021) 2 एससीसी 485

श्री रोहतगी के अनुसार, इस न्यायालय की परस्पर विरोधी राय के कारण, इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना तत्काल आवश्यक है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 आदर्श समूह की कंपनियों और एलएलपी के निदेशक हैं, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 417,418,420,406,463,467,468,471,474 सहपठित धारा 120-बी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।निर्विवाद तथ्य यह है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 439 (2) के तहत शिकायत 18.05.2019 पर दायर की गई थी, जो रिमांड की तारीख से 60 दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले थी।वैधानिक जमानत के लिए दायर आवेदनों को विशेष न्यायालय ने 22.05.2019 पर इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आरोप पत्र 60 दिनों की समाप्ति से पहले दायर किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने विशेष न्यायालय के समक्ष यह तर्क नहीं दिया कि वे 60 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले आरोप पत्र दायर करने के बाद भी वैधानिक जमानत के हकदार थे, क्योंकि संज्ञान नहीं लिया गया था।निचली विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश द्वारा इस तरह के निर्देश दिए जाने पर वैधानिक जमानत के लिए आवेदनों का निपटारा कर दिया।उक्त नियमित जमानत आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए लिया गया था और विवादित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि न्यायालय द्वारा 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया था।हालाँकि, ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय वैधानिक जमानत की मांग करने वाले आवेदनों को खारिज करते हुए निचली विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश पर विचार करने में विफल रहा।

8. इस मामले में हमारे विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या कोई आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत इस आधार पर वैधानिक जमानत का हकदार है कि रिमांड की तारीख से 60 दिन या 90 दिन की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।धारा 167 (2), सी. आर. पी. सी. निम्नानुसार हैः

167. प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती है।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(2) मजिस्ट्रेट, जिसे इस धारा के तहत एक अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, चाहे उसके पास मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता हो या न हो, समय-समय पर अभियुक्त को ऐसी हिरासत में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, कुल मिलाकर पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए; और यदि उसकी कोई अधिकारिता नहीं है

मामले की सुनवाई करने या इसे मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए, और आगे हिरासत को अनावश्यक समझते हुए, वह अभियुक्त को ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता हैः

बशर्ते कि-(क) मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा के अलावा पंद्रह दिनों की अवधि के बाद हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इस अनुच्छेद के तहत अभिरक्षा में अभियुक्त व्यक्ति को कुल अवधि से अधिक के लिए हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा -

(i) नब्बे दिन, जहां जांच मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है;

((ii) साठ दिन, जहां जाँच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और, यथास्थिति, नब्बे दिनों या साठ दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति पर, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और जमानत देता है, और इस उप-धारा के तहत जमानत पर रिहा किया गया प्रत्येक व्यक्ति उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत इस तरह से रिहा किया गया समझा जाएगा;

(ख) कोई भी मजिस्ट्रेट इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में आरोपी को तब तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि आरोपी को पहली बार उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया जाता है और बाद में हर बार जब तक कि आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं रहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट आरोपी को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने पर न्यायिक हिरासत में और हिरासत बढ़ा सकता है।

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को अधिकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण I-शंकाओं से बचने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैराग्राफ (ए) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है।

स्पष्टीकरण 2.-यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को खंड (ख) के तहत आवश्यकतानुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, तो आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेने को अधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित आदेश से साबित किया जा सकता है कि आरोपी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश किया जाए, जैसा भी मामला हो।

9. यह मुद्दा भीकमचंद जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है।भीकमचंद जैन (उपरोक्त) में पारित निर्णय की बारीकी से जांच करना आवश्यक है।उक्त मामले में याची को जलगांव शहर में

झुग्गियों के विकास के लिए राशि के दुरुपयोग के आरोप में 11.03.2012 पर गिरफ्तार किया गया था।याची पर आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 120-बी, 409,411,406,408,465,468,471,177 और 109 के तहत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (सी), 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।इसमें याची का तर्क था कि 90 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर मंजूरी के अभाव में संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण उसे हिरासत में नहीं भेजा जा सकता था।भीकमचंद जैन (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के अनुसार, किसी अभियुक्त की रिमांड से संबंधित प्रावधानों की योजना पहले जाँच के चरण के दौरान और उसके बाद, संज्ञान लेने के बाद, इंगित करती है कि विधायिका ने कुछ अपराधों की जाँच को उसमें निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने का इरादा किया था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जांच अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने की स्थिति में, अभियुक्त को जमानत देने का एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त हो जाता है, यदि वह जमानत देने की पेशकश करता है।इस न्यायालय की दृढ़ राय थी कि यदि 61 वें दिन या 91 वें दिन, कोई आरोपी आरोप पत्र दायर किए जाने की चूक में जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय के पास आरोपी को जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।हालांकि, एक बार निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद, आरोपी का वैधानिक जमानत का अधिकार समाप्त हो गया और आरोपी गुण-दोष के आधार पर नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने का हकदार होगा।इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरोप पत्र दाखिल करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के परंतुक पर्याप्त अनुपालन है और संज्ञान लेना धारा 167 के लिए सामग्री नहीं है।सी. आर. पी. सी. की योजना ऐसी है कि एक बार जांच चरण पूरा हो जाने के बाद, न्यायालय अगले चरण में आगे बढ़ती है, जो कि संज्ञान लेना और मुकदमा चलाना है।जाँच की अवधि के दौरान, अभियुक्त ए के समक्ष मजिस्ट्रेट की हिरासत में है।

जिसे उसे पहले पेश किया जाता है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि तक आरोपी को पुलिस हिरासत और/या न्यायिक हिरासत में भेजने की शक्ति निहित होती है।इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि एक आरोपी को किसी न्यायालय की हिरासत में रहना पड़ता है, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने पर, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में तब तक बना रहता है जब तक कि अपराध की सुनवाई करने वाली न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जब उक्त न्यायालय न्यायालय प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के संदर्भ में मुकदमे के दौरान रिमांड के उद्देश्यों के लिए आरोपी की हिरासत ग्रहण करती है। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों चरण अलग-अलग हैं, एक के बाद एक, ताकि न्यायालय के साथ आरोपी की हिरासत की निरंतरता बनाए रखी जा सके।

10. भीकमचंद जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट है कि आरोप पत्र दाखिल करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है और कोई अभियुक्त इस आधार पर धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई की मांग नहीं कर

सकता है कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है।अभियुक्त मजिस्ट्रेट की हिरासत में तब तक बना रहता है जब तक कि अपराध की सुनवाई करने वाली न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जो संज्ञान लेने के बाद रिमांड के उद्देश्य से अभियुक्त की हिरासत मान लेती है।उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त को धारा 167 के तहत 60 दिनों की अवधि से आगे रिमांड में नहीं रखा जा सकता है और आगे की रिमांड केवल संज्ञान के बाद के चरण में हो सकती है, इस फैसले के मद्देनजर सही नहीं है।

भीकमचंद जैन (ऊपर) में न्यायालय।

11. जिस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या इस न्यायालय ने संजय दत्त (ऊपर), मदार शेख (ऊपर) और एम. रवींद्रन (ऊपर) में एक अलग दृष्टिकोण लिया है। संजय दत्त (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त को प्राप्त होने वाला अक्षम्य अधिकार चालान दाखिल करने से पहले ही लागू किया जा सकता है और चालान दायर किए जाने पर यह जीवित नहीं रहता है या लागू किया जा सकता है।यह स्पष्ट किया गया कि एक बार चालान दाखिल होने के बाद, जमानत देने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए और चालान दाखिल करने के बाद किसी आरोपी को जमानत देने से संबंधित प्रावधानों के तहत मामले के गुण-दोष के संदर्भ में ही निर्णय लिया जाना चाहिए।उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चालान दायर किए जाने के बाद अभियुक्त की अभिरक्षा धारा 167 (2) द्वारा नियंत्रित नहीं है, बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।

12. मदार शेख (ऊपर) में, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 और मध्यस्थ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा विद्वान गया था,

उसमें अपीलार्थियों को 16.01.1993 पर हिरासत में लिया गया था।आरोप पत्र 30.08.1993 पर प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि अपीलार्थियों आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 20 (4) (बी) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने के कारण रिहा होने के हकदार थे, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के सहपठित पढ़ा जाता है, लेकिन उन्होंने वैधानिक अवधि के भीतर जांच पूरी करने में चूक के आधार पर जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन नहीं किया।आरोप पत्र दाखिल करने और संज्ञान लेने के बाद, वे सीआरपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत पारित रिमांड के आदेशों के आधार पर हिरासत में बने रहे। उक्त तथ्य स्थिति में वैधानिक जमानत से राहत देने से इनकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 167 (2) के तहत किसी आरोपी को दिए गए अधिकार का उपयोग आरोप पत्र जमा करने और संज्ञान लेने के बाद नहीं किया जा सकता है।मदार शेख (उपरोक्त) में दिए गए फैसले को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि संज्ञान लिए जाने के बाद वैधानिक जमानत के अधिकार के अप्रवर्तनीय होने का संदर्भ उक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए है, जहां इस न्यायालय ने अपीलार्थियों को इस आधार पर वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आरोप पत्र दायर किया गया था और संज्ञान भी लिया गया था, साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य

प्रावधानों के तहत रिमांड के आदेश पारित किए गए थे। इसके बाद, वे धारा 167 (2) के तहत जमानत के हकदार नहीं थे।

13. धारा 167 (2), सी. आर. पी. सी. के तहत जमानत के लिए आवेदन एम. रवींद्रन (ऊपर) में इस न्यायालय के विचार के लिए गिर गया।उक्त मामले में, अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 04.08.2018 पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने इस आधार पर धारा 167 (2) के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर किया कि जांच पूरी नहीं हुई थी और वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। निचली विचारण न्यायालय ने धारा 167 (2) के तहत जमानत दे दी, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.11.2019 के फैसले से अपास्त करना दिया था।उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उक्त मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसमें अपीलार्थी ने निचली विचारण न्यायालय के समक्ष 01.02.2019 पर सुबह 10.30 पर एक आवेदन दायर किया और उसी दिन शाम 4:25 बजे अपीलार्थी के खिलाफ एक अतिरिक्त शिकायत दायर की गई, जिसके आधार पर जमानत आवेदन को खारिज करने की मांग की गई थी।इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए निचली विचारण न्यायालय के आदेश को बहाल कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अभियुक्त ने निर्धारित समय अवधि समाप्त होने पर धारा 167 (2) के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर किए जाने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का "लाभ उठाया" या उसे लागू किया है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ए

180 दिनों की समाप्ति से पहले, कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही जांच के लिए समय बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दायर किया गया था, इस न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी बाद में एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने के बावजूद वैधानिक जमानत पर रिहा होने का हकदार था।उक्त मामले में जो बिंदु तय किया गया था वह यह था कि अभियुक्त द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का लाभ उठाने के बाद एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज करना, अदालतों को इस अक्षम्य अधिकार को लागू करने से नहीं रोकना चाहिए, यदि आरोप पत्र वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले दायर नहीं किया गया था।इस न्यायालय द्वारा एम. रवींद्रन (ऊपर) में मदार शेख (ऊपर) का संदर्भ दिया गया था।इस न्यायालय ने कहा कि मदार शेख (उपरोक्त) में जमानत के लिए कोई पूर्व आवेदन दायर नहीं किया गया था, हालांकि आरोप पत्र वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया गया था।इस न्यायालय ने मदार शेख (ऊपर) में दर्ज निष्कर्षों को दोहराया कि आरोप पत्र जमा करने और संज्ञान लेने के बाद जमानत के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, मदार शेख (ऊपर) में उक्त निष्कर्ष मामले के तथ्यों के संदर्भ में आया था।14. 2020 की आपराधिक अपील संख्या 701-702 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो मुद्दा उठा है, वह इस बात से संबंधित है कि क्या रिमांड की तारीख को 60 दिनों या 90 दिनों की अवधि की गणना में शामिल किया जाना है, जैसा कि धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत विचार किया गया है, ताकि डिफ़ॉल्ट जमानत के परंतुक पर विचार किया जा सके।उक्त बिंदु पर विचारों के विचलन पर ध्यान देते

हुए, इस न्यायालय ने एक बड़ी पीठ द्वारा इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की। बाद का आदेश दिनांक 12.03.2021 एसएलपी (सी. आर. एल.) में पारित किया गया। 2021 की संख्या 2105-2106 और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) 2021 की संख्या 2111-2112 उन सभी मामलों को 2020 की आपराधिक अपील संख्या 701-702 के साथ टैग करने के लिए है।याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किया गया और उक्त आदेश में दर्ज किया गया निवेदन गवाहों और दस्तावेजों की सूची के बिना अंतिम दिन आरोप पत्र दायर करने से संबंधित है जो आरोप पत्र को उचित रूप से दाखिल करने के बराबर नहीं है।श्री रोहतगी ने एसएलपी (सी. आर. एल.) का उल्लेख किया। 2021 का सं. 2111-2112 और प्रस्तुत किया कि उठाए गए बिंदुओं में से एक धारा 167, सी. आर. पी. सी. के तहत वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले संज्ञान लेने से संबंधित है। यह स्पष्ट है कि एक बड़ी पीठ का संदर्भ धारा 167 के तहत निर्धारित अवधि की गणना के लिए रिमांड की तारीख को बाहर करने या शामिल करने के मुद्दे से संबंधित है।इसलिए, इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

15. संजय दत्त (ऊपर), मदार शेख (ऊपर) और एम. रवींद्रन (ऊपर) के फैसलों की बारीकी से जांच से पता चलता है कि भीकमचंद में जो तय किया गया है, उसके विपरीत कुछ भी नहीं है।

जैन (ऊपर)।उपरोक्त सभी निर्णयों में, जिन पर दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किया जाता है, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत सांविधिक जमानत लेने का अभियुक्त का अक्षम्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब सांविधिक अवधि की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो।मदार शेख (उपरोक्त) में संज्ञान का संदर्भ उस तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए है जहां आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद आवेदन दायर किया गया था और निचली विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था।इस तरह के संदर्भ का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक (ए) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर संज्ञान की एक अतिरिक्त आवश्यकता को लागू करता है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने के बाद भी डिफ़ॉल्ट परंतुक का हकदार होगा।यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मदार शेख (ऊपर) और एम. रवींद्रन (ऊपर) दोनों मामलों में, इस न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया कि वैधानिक अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर न करना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत का दावा करने के अक्षम्य अधिकार का लाभ उठाने का आधार है। इस न्यायालय ने भीकमचंद जैन (उपरोक्त) मामले में 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त की अभिरक्षा से संबंधित पहेली पर भी विचार किया है। यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने तक आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है।चूंकि इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा भीकमचंद जैन (उपरोक्त) के फैसले में पूरी तरह से शामिल है, इसलिए 31.05.2019 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।16. उपरोक्त कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।